राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या	क्र.सं.	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
2573 / 2023	1.	राम सिंह राजोरिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. मुख्य अभियंता सह अति.सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड़, सिविल लाईन, जयपुर। 4. सवाई सिंह राठौड पुत्र श्री दुर्गा राम राठौड़, सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री होल्डर जरिये मुख्यसार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड़, सिविल लाईन, जयपुर।
	2.	राजेन्द्र प्रसाद	
	3.	खेमा राम	
	4.	बिखा राम बेरवाल	
	5.	राम चन्द्र भाट	
	6.	विजय सिंह	
	7.	रविन्द्र कुमार सिंघल	
	8.	मंगला राम	
	9.	शिव राम मीणा	
	10.	जगदीश प्रसाद मीणा	
	11.	बसंत कुमार मीणा	
	12.	भंवर लाल	
	13.	कमल राम मीणा	
	14.	संतोष कुमार	
	15.	नन्द लाल मीणा	
	16.	जमना लाल मीणा	
	17.	रमेश चन्द मीणा	
2594 / 2023	1.	अनिल कुमार माथुर	
	2.	देवेन्द्र सिंह गहलोत	

आदेश की दिनांक : 05.09.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि इस अधिकरण ने पूर्व में अपील संख्या 2207 / 2023 लोकेश गुप्ता एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 22.09.2023 पारित कर यह आदेश दिया था कि उक्त अपीलों के अपीलार्थीगण की सेवा की गणना दिनांक 01.04.2008 से करने पर उनके 15 वर्ष के अनुभव को गिनते हुए इन्हें अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा जावे। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरणों में अपीलार्थीगण के मामलें भी उपरोक्त प्रकरणों के समान हैं, जिनमें भी अपीलार्थीगण ने दिनांक 01.04.2008 से 15 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया है। ऐसे में अपीलार्थीगण भी अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2207 / 2023 में पारित

निर्णय दिनांक 22.09.2023 को राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 17623/2023 राजस्थान सरकार बनाम याचिगण के द्वारा चुनौती दी गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका खारिज की जा चुकी है और इस अधिकरण के निर्णय की पुष्टि की गयी है। ऐसे में अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में भी अपील संख्या 2207/2023 लोकेश गुप्ता एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय के समान निर्णय पारित किया जाए।

2. प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष उक्त सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जावें, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग गुणावगुण पर विचार करते हुए निर्णय पारित करेगा।

3. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीगण की अपीलों का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि वर्तमान अपीलों के अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार किया जाएं एवं यदि वर्तमान अपीलों के अपीलार्थीगण का प्रकरण इस अधिकरण के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या–2207/2023 लोकेश गुप्ता एवं अन्य के अपीलार्थीगण के प्रकरण के समान है, तो वर्तमान प्रकरण के अपीलार्थीगण को वही लाभ प्रदान किया जाए जो अधिकरण ने पूर्व में अपील संख्या–2207/2023 लोकेश गुप्ता एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 22.09.2023 पारित कर अपीलार्थीगण को लाभ प्रदान किया है। अर्थात वर्तमान अपीलार्थीगण के मामलों में भी अधिकरण का उक्त आदेश लागू किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण के समान अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी उपरोक्त निर्णय लागू करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए।

4. मूल आदेश को अपील संख्या 2573/2023 में एवं इसकी छायाप्रति अपील संख्या 2594/2023 में संलग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)